

न्यायालय :- महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर म.प्र.

क्रमांक / 2024

अशोकनगर, दिनांक

:: आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2024 संशोधन आदेश ::


मैं, महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर म.प्र. दं.प्र.सं. की धारा 14(2) व 15(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अशोकनगर, जिला अशोकनगर म.प्र. के अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक कार्य-व्यवस्था की दृष्टि से श्रीमती अर्चना रघुवंशी, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण होने से आपराधिक कार्य-विभाजन पत्रक-2024 की कपिडका-3 व 5 में निम्नानुसार आगामी आदेश तक संशोधन समाविष्ट करता हूँ :—

आदेश दिनांक 21.03.2024 से लागू होगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी	अधिकार क्षेत्र	क्र.	कार्य विवरण
3	श्रीमती पूनम कटारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर		1.	पूर्ववत्
			2.	पूर्ववत्
			3.	पूर्ववत्
			4.	पूर्ववत्
			5.	विलोपित
5.	श्रीमती बबीता प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोकनगर		1	पूर्ववत्
			2	पूर्ववत्
			3	पूर्ववत्
			4	पूर्ववत्
			5	पूर्ववत्
			6	पूर्ववत्
			7	प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अशोकनगर के अवकाश पर रहने/सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान आवश्यक कार्य संपादन किये जाने हेतु अधिष्ठित किया जाता है।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित।

(पवन कुमार शर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर म.प्र.


(महेन्द्रपाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक / 2024


अशोकनगर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- कलेक्टर, जिला अशोकनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर की ओर संबंधित थाने को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती पूनम कटारिया, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती बबीता प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर

सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

6. जिला अभियोजन अधिकारी, अशोकनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अशोकनगर को सूचनार्थ।
8. स्टेनो, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर म.प्र.
9. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।


(महेन्द्रपाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र.